आवश्यक

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः- एफ.13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2016/I/52877/2016 दिनांकः-30.06.2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
आयुक्त,
नगर निगम समस्त

विषयः- जन्म रिकॉर्ड में जन्म तिथि में संशोधन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार से ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जिसमें अभिभावक द्वारा संस्थानिक घटना होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है। यह देखने में आया है कि जन्म रिकार्ड में त्रुटियां अस्पताल के प्रभारी द्वारा अथवा सूचक द्वारा जन्म रिपोर्टिंग फार्म में लापरवाही से दर्ज करने के कारण होती है अथवा कई बार अभिभावक द्वारा शपथ पत्र के आधार पर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा लिये जाते है जबकि घटना संस्थानिक होती है। जन्म तिथि में शुद्धियों के आवेदन व्यक्तियों द्वारा तभी प्रस्तुत किये जाते है जब विद्यालय में प्रवेश देने, पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते है।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के पत्र संख्या 1/12/2014-वीएस-(सीआरएस)/733 दिनांक 30.06.2015 के मार्गदर्शन अनुसार ''जहां तक जन्म तिथि में शुद्धि का सम्बन्ध है यह स्पष्ट किया जाता है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अन्तर्गत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और ये प्रविष्टियां जन्म अथवा मृत्यु जो भी हो, के तथ्य का निर्णायक साक्ष्य है। उपर्युक्त तथ्य को मध्यनजर रखते हुए, जन्म तिथि में शुद्धि की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जब तक कि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि जन्म तिथि में घटना की रिपोर्टिंग/रजिस्ट्रीकरण के समय, पर एक कपटपूर्ण प्रविष्टि की गई थी।''

यदि संस्थानिक घटना होने पर रजिस्ट्रार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता से संतुष्ट हो जाता है तो वह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) की स्वीकृति उपरान्त जन्म/मृत्यु तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत है। यह उल्लेखनीय है कि जन्म अथवा मृत्यु की किसी भी प्रविष्टि में संशोधन अथवा निरस्त (Correction or Cancellation), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 2000 के नियम, 11 के अन्तर्गत किया जाता है जो कि सम्बन्धित रजिस्ट्रार की संतुष्टि पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में संशोधन की स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में मूल प्रविष्टि को काटा नही जाता है तथा रिमार्क कॉलम में संशोधित प्रविष्टि दिनांक के साथ लिख दी जाती है तथा उसके आधार पर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में सभी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अनुपालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। साथ ही रजिस्ट्रारों को जन्म रिकार्ड में नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन की प्रथा को प्रोत्साहित न करने के लिए भी निर्देशित करें।

भवदीय,

-ह0-
(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव